

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, काशीपुर (ऊ0सिं0 नगर)

निविदा संख्या

/मैस संचालन/2021-22

दिनांक सितम्बर 2021

:: टेन्डर ::

क्रम संख्या- निविदा प्रपत्र मूल्य रूपये 500=00 (रूपये पांच सौ मात्र) अन्तिम तिथि 04 अक्टूबर 2021 संस्था के छात्रावास में मैस संचालन हेतु मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। इस विषयक अल्पकालीन निविदा सूचना दैनिक जागरण पत्र एवं दैनिक अमृत विचार के संस्करण में दिनांक 26 सितम्बर 2021 को प्रकाशित हो चुकी है।

निविदादाता निविदा भरने से पूर्व सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर ले। बिलम्ब से प्राप्त, अपूर्ण एवं शर्तों के अनुरूप अन्य अभिलेख जमा न होने पर निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी। प्रधानाचार्य को शर्तों में परिवर्तन करने तथा किसी अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। जो फर्मों को सर्वमान्य होगा। निविदादाताओं हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश-

- 1- फर्म को अलग-अलग लिफाफे में सील करके दोनो निविदाओं (Technical Bid & Financial Bid) को एक साथ लिफाफे में सील करके जमा करना होगा।
- 2- प्रत्येक लिफाफे पर बोली का प्रकार एवं टेन्डर की अन्तिम तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 3- लिफाफे पर निविदादाता फर्म का पूर्ण एवं स्पष्ट पता अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 4- निविदा प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, काशीपुर (ऊ0सिं0 नगर) के पते पर दिनांक 25 सितम्बर 2021 से दिनांक 04 अक्टूबर 2021 के मध्य किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्वयं/प्रतिनिधि के माध्यम से जमा की जा सकती है।
- 5- निविदा की अन्तिम तिथि दिनांक 04 अक्टूबर 2021 को सायं 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी।
- 6- निविदायें दिनांक 05 अक्टूबर 2021 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष राजपत्रित अधिकारियों की गठित समिति के द्वारा खोले जायेंगे। निविदादाता स्वयं अथवा निविदादाता द्वारा नामित प्रतिनिधि निविदा खोलते समय चाहें तो उपस्थित रह सकते हैं।
- 7- Technical Bid की अर्हता पूर्ण न होने पर Financial Bid नहीं खोली जायेगी।
- 8- निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 5000=00 (रूपये पांच हजार मात्र) का एफ0डी0आर0 अथवा एन0एस0सी0/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो कि प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, काशीपुर (ऊ0सिं0 नगर) के पक्ष में देय होगा जमा करना अनिवार्य होगा।
- 9- जिन फर्मों की निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी, उन्हें उनके द्वारा जमा की गयी उक्त धनराशि पंजीकृत डाक द्वारा वापस की जायेगी।
- 10- मैस मैनेजर को मैस चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा उसका यह अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न होना अनिवार्य होगा।
- 11- छात्रावास समिति के सदस्य/छात्रावास की छात्र समिति द्वारा समय समय पर मैस के खाने की कच्ची व पकी सामग्री का निरीक्षण किया जायेगा। स्वीकृत मैन्यू के अनुसार न पाये जाने पर अथवा मैस में भोजन की गुणवत्ता मैन्यू के अनुसार न होने पर मैस समिति के सदस्यों द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर उस दिन के भोजन की डाइट का भुगतान ठेकेदार को नहीं दिया जायेगा, तथा सुधार न होने की स्थिति में मैस तुरन्त बन्द कर दी जायेगी।
- 12- मैस मैनेजर द्वारा मैस प्रारम्भ करने की तिथि से शीतकालीन सेमेस्टर की परीक्षा के अन्तिम दिन तक मैस निरन्तर चलानी होगी। मैस संचालन एवं बन्द करने हेतु छात्रावास अधीक्षक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।
- 13- मैस मैनेजर एवं मैस के अन्य कर्मचारियों का छात्रों के प्रति व्यवहार नरम होना चाहिए, एवं मैस में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
- 14- छात्रों को भोजन निर्धारित कक्ष में खिलाना अनिवार्य होगा। छात्रों को कमरे में भोजन खाने की अनुमति नहीं है।
- 15- मैस में खाने का समय छात्रावास अधीक्षक द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- 16- मैस मैनेजर एवं उनके कर्मचारियों को छात्रावास परिसर में धूम्रपान एवं मद्यपान का सेवन वर्जित होगा।
- 17- मैस मैनेजर एवं छात्रों की सहमति से मैन्यू में परिवर्तन किया जाता है तो मैस मैनेजर को मान्य होगा।
- 18- मैस में खाना मैस समिति व छात्रों द्वारा निर्धारित समय ही देय होगा। खाना समय पर न देने पर प्रति मीटिंग 50=00 रूपये (रु0 पचास मात्र) का जुर्माना देय होगा।
- 19- मैस में लगे बिजली के उपकरण से छेड़-छाड़ करने की अनुमति नहीं होगी। मैस में प्राप्त किये गये सामान की किसी भी प्रकार की टूट-फूट की पूर्ण जिम्मेदारी मैस मैनेजर की होगी।
- 20- मैस छात्रावास समिति द्वारा अच्छी परफोरमेन्स होने पर अगले ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर में मैस चलाने की अनुमति उसी दरों पर प्रदान की जा सकती है।

- 21- मैस में खाना बनाने हेतु व्यवसायिक गैस कनेक्शन का होना अनिवार्य है। लकड़ी इत्यादि पर खाना बनाना मना है।
- 22- मैस चलाते समय मैस मैनेजर को प्रयुक्त होने वाले उपकरण पंखे व ट्यूबलाइट आदि का बिजली बिल मीटर व बिलिंग के आधार पर भुगतान करना होगा।
- 23- मैस में छात्रों को निर्धारित मैन्यू के अनुसार प्रतिदिन खाना देना होगा।
- 24- मैस मैनेजर को स्वयं खाना पकाने वाले कारीगरों को मैस का ठेका देते समय वरीयता दी जा सकती है।
- 25- मैस में मैस मैनेजर को पंखे/ट्यूबलाइट, मेज, कुर्सी व बर्तनों आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- 26- मैस मैनेजर को छात्रों से खाना खाने का 15 दिन का अग्रिम धनराशि लेनी होगी। छात्रों के खाने के बिल के लेनदेन की जिम्मेदारी संस्था की नहीं होगी। संस्था के मैस में जो भी सामान उपलब्ध है वह मैस मैनेजर को उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा मैस समाप्ति के बाद उसी स्थिति में पुनः वापस लिया जायेगा।
- 27- प्रधानाचार्य को किसी भी समय बिना करण बताये मैस बन्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 28- मैस चलाने से पूर्व मैस मैनेजर आवश्यक कर्मचारियों की फोटो युक्त पहचान पत्र छात्रावास अधीक्षक को उपलब्ध करायेंगे।
- 29- मैस में मैस मैनेजर यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रों में झगडा न हो। किसी भी परिस्थिति में मैस मैनेजर व अन्य कर्मचारी छात्रों से हाथापाई नहीं करेगा तथा अपशब्दों को प्रयोग नहीं करेगा। शिकायत मिलने पर मैस तुरन्त बन्द करके सिक्वोरिटी जब्त कर ली जायेगी तथा पुलिस कार्यवाही की जायेगी।
- 30- यदि न्यूनतम दरें आने पर भी संस्था समिति/प्रशासन को यह लगता है कि संन्दर्भित ठेकेदार/मैस मैनेजर की छवि पूर्व में धूमिल रही हो और कटु अनुभव रहा हो उसको मैस चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 31- खाना, नाश्ता एवं चाय की दरें अलग-अलग होने पर प्रतिदिन की कुल धनराशि के औसत के अनुसार तुलना की जायेगी।
- 32- मैस मैनेजर को संस्था में कैंटीन चलाने का कोई अधिकार नहीं होगा। कैंटीन का ठेका किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है।
- 33- मैस मैनेजर को मैस की धनराशि प्रतिदिन डायट के अनुसार छात्रों द्वारा देय होगी। छात्रों पर न्यूनतम डायट का प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।
- 34- मैस में प्रयुक्त होने वाला सामान गुणवत्ता एवं उच्च कोटी का होना चाहिए। यदि मैस में खाना खाने के कारण कोई छात्र बीमार होता है अथवा मैस में प्रयुक्त सामान की गुणवत्ता एवं सफाई इत्यादि की शिकायत होने पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा साथ ही तत्काल जमानत को जब्त करते हुए मैस को बन्द कर दिया जायेगा तथा पुलिस कार्यवाही की जायेगी।
- 35- मैस बन्द करने के बाद मैस मैनेजर का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। मैस मैनेजर द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले सामान की टूट-फूट इत्यादि की जिम्मेदारी संस्था की नहीं होगी।
- 36- किसी भी समस्या होने पर मैस मैनेजर छात्रावास अधीक्षक को अवगत करायेगा। छात्रावास अधीक्षक के स्तर पर समाधान न होने पर समिति के समक्ष प्रस्तुत होगा, निदान न होने की स्थिति में समस्या प्रधानाचार्य महोदय के समक्ष रखी जायेगी। सीधे प्रधानाचार्य के पास मैस मैनेजर के जाने व समस्या रखने की अनुमति नहीं होगी।
- 37- मैस मैनेजर को नियमानुसार आयकर/ट्रेडकर/व्यापारकर इत्यादि समय से जमा करना होगा। जिसकी जिम्मेदारी संस्था की नहीं होगी।
- 38- मैस समिति द्वारा खाने का मैन्यू परिवर्तित किया जा सकता है।
- 39- मैस मैनेजर छात्रावास अधीक्षक की अनुमति के बिना मैस न चलाने पर एक मीटिंग का आपसे 1000=00 रुपये (रु0 एक हजार मात्र) का जुर्माना वसूल किया जायेगा।
- 40- मैस मैनेजर के पास एफ0एस0एस0ए0आई0 का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

मै.....पुत्र श्री.....मैसर्स.....

शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मुझे उपरोक्त नियम एवं शर्तें मान्य है।

हस्ताक्षर—

नाम एवं पता—

मो0न0—